रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13042023-245164
CG-DL-E-13042023-245164

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1648] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 13, 2023/चैत्र 23, 1945
No. 1648] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 13, 2023/CHAITRA 23, 1945

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 2023

का.आ. 1728(अ).— सेवाओं या लाभों या सहायिकियों के परिदान के लिए पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं को सरल बनाता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है, और लाभार्थियों को उनकी पात्रता को सीधे सुविधाजनक और निर्बाध तरीके से प्राप्त करने में सक्षम बनाता है और आधार किसी की पहचान साबित करने के लिए कई दस्तावेजों की आवश्यकता को समाप्त करता है;

और कोयला मंत्रालय (जिसे इसमें इसके पश्चात मंत्रालय कहा गया है) कोयला खान भविष्य निधि और विविध उपबंध अधिनियम, 1948 (1948 का 46) के अंतर्गत बनाई गई कोयला खान पेंशन योजना, 1998(जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है) का प्रशासन कर रहा है और जिसमें सदस्य और पेंशनभोगी हैं;

और उक्त योजना में अंशदान के रूप में केंद्रीय सरकार द्वारा भारत की समेकित निधि से आवर्ती व्यय शामिल है;

अतः अब, केंद्रीय सरकार आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात

उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में, निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात्: -

1. (1) उक्त योजना के आधीन केंद्रीय सरकार के योगदान का लाभ उठाकर योजना में पेंशन और सदस्यता जारी रखने के इच्छुक कोयला खान पेंशन योजना के सदस्य और पेंशनभोगी को आधार नम्बर होने का प्रमाण प्रस्तुत करना आवश्यक है या आधार के माध्यम से बेहतर और परेशानी मुक्त पहचान के लिए कोयला खान भविष्य निधि संगठन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आधार प्रमाणीकरण से गुजरना होगा।

(2) उक्त योजना के लाभ को जारी रखने के इच्छुक योजना के सदस्य या पेंशनभोगी, जिन्हें अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीं किया गया है, को आधार नामांकन के लिए आवेदन करने की आवश्यकता होगी, यदि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार प्राप्त करने के लिए पात्र है और ऐसे सदस्य और पेंशनभोगी भारत की विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) (वेबसाइट www.uidai.gov.in) में नामांकित होने के लिए आधार नामांकन केंद्र (यूआईडीएआई में उपलब्ध सूची) जा सकते हैं।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, मंत्रालय को अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से उन निवासियों के लिए आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करना आवश्यक है जो अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीं हैं और यदि संबंधित ब्लॉक या तालुका या तहसील में कोई आधार नामांकन केंद्र स्थित नहीं है, मंत्रालय अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से यूआईडीएआई के विद्यमान रजिस्ट्रार के सहयोग से या स्वयं यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनकर सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगा:

परन्तु जब तक उक्त सदस्य को आधार नहीं दिया जाता है, तब तक कोयला खान पेंशन योजना के अधीन केंद्रीय सरकार का योगदान पहचान के वैकल्पिक और व्यवहार्य साधनों के आधार पर दिया जाएगा जैसा कि कोयला भविष्य निधि संगठन द्वारा अधिसूचित किया गया है, जो निम्नलिखित दस्तावेजों के प्रस्तुत करने के अधीन है: -

(क) (i) नियोक्ता या क्षेत्र द्वारा जारी किया गया पहचान प्रमाण पत्र

उक्त संगठन द्वारा जारी विशिष्ट खाता संख्या (यूएएन) के साथ कोयला खान भविष्य निधि संगठन (कोयला मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट टेम्पलेट) के क्षेत्र कार्यालय या नियोक्ता द्वारा जारी किया गया पहचान प्रमाण-पत्र;

(ii) यदि सदस्य या पेंशनभोगी ने नामांकन किया है, तो उसकी आधार नामांकन पहचान पर्ची; और

(ख) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक, अर्थात्: -

(i) भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र; या

(ii) आयकर विभाग द्वारा जारी स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड; या

(iii) पासपोर्ट; या

(iv) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के तहत लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस; या

(v) राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा आधिकारिक लेटर हेड पर जारी किए गए ऐसे सदस्य की फोटो वाले पहचान का प्रमाण पत्र; या

(vi) कोयला खान भविष्य निधि संगठन द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज:

परन्तु यह और कि उपरोक्त दस्तावेजों की जांच कोयला खान भविष्य निधि संगठन द्वारा विशेष रूप से नामनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा अपने क्षेत्रीय कार्यालयों और अपने नेटवर्क के माध्यम से की जाएगी।

2. सदस्यों के लाभ के लिए योजना के अधीन केंद्रीय सरकार के योगदान को सुविधाजनक और बाधा मुक्त उपलब्ध कराने के लिए, कोयला खान भविष्य निधि संगठन अपने क्षेत्रीय कार्यालयों और अपने नेटवर्क के माध्यम से यह सुनिश्चित

करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्था करेगा कि मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार और संबंधित प्रतिष्ठानों के माध्यम से व्यक्तिगत नोटिस सदस्य आवेदकों को दिए जाएंगे ताकि उन्हें योजना के अधीन केंद्रीय सरकार के योगदान का लाभ उठाने के उद्देश्य से आधार की आवश्यकता से अवगत कराया जा सके।

3. सभी मामलों में, जहां सदस्यों या पेंशनरों के खराब बायोमेट्रिक्स के कारण या किसी अन्य कारण से आधार प्रमाणीकरण विफल हो जाता है, निम्नलिखित उपचारात्मक तंत्र को अपनाया जाएगा, अर्थात्: -

(क) खराब फिंगरप्रिंट गुणवत्ता के मामले में, प्रमाणीकरण के लिए आईरिस स्कैन या फेस ऑथेंटिकेशन सुविधा को अपनाया जाएगा, जिससे मंत्रालय अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से आईरिस स्कैनर या फेस ऑथेंटिकेशन के साथ-साथ फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण के लिए उपबंध करेगा ताकि लाभ का वितरण सहज तरीके से किया जा सके;

(ख) उंगलियों के निशान या आईरिस स्कैन या चेहरे के प्रमाणीकरण के माध्यम से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण सफल नहीं होने की स्थिति में, जहां भी संभव हो, यथा स्थिति आधार एक बारगी पासवर्ड या सीमित समय वैधता के साथ समय -आधारित एक बारगी पासवर्ड, द्वारा प्रमाणीकरण किया जाएगा;

(ग) अन्य सभी मामलों में जहां बायोमेट्रिक या आधार एक बारगी पासवर्ड या समय आधारित एक बारगी पासवर्ड प्रमाणीकरण संभव नहीं है, योजना के अधीन पेंशन वास्तविक आधार पत्र के आधार पर दी जा सकती है, जिसकी प्रामाणिकता आधार पत्र पर मुद्रित त्वरित प्रतिक्रिया कोड के माध्यम से सत्यापित की जा सकती है और मंत्रालय द्वारा अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से सुविधाजनक स्थानों पर त्वरित प्रतिक्रिया कोड रीडर की आवश्यक व्यवस्था प्रदान की जाएगी।

4. यह अधिसूचना सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होगी।

[फा. सं. 20090/24/2016-पीआरआईडब्ल्यू3]

संतोष, डीडीजी (कोयला)

MINISTRY OF COAL

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th April, 2023

S.O. 1728(E).— WHEREAS, the use of Aadhaar as identity document fordelivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multipledocuments to prove one’s identity ;

AND WHEREAS, the Ministry of Coal *(hereinafter referred to as theMinistry)* is administering the Coal Mines Pension Scheme, 1998 *(hereinafter referred to as the Scheme)* framed under the Coal Mines Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1948 (46 of 1948) andwhich is having members and pensioners ;

AND WHEREAS, the aforementioned Scheme involves recurring expenditure from the Consolidated Fund of India by the Central Government in the form of contribution;

NOW, THEREFORE, in pursuance of the provision of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely :-

1. (1) Members and pensioners of the Coal Mines Pension Scheme desirous of continuing to avail pension and membership to the Scheme by availing the Central Government’s contribution under the said Scheme, are hereby required to furnish proof of the possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication as per the procedure laid down by the Coal Mines Provident Fund Organisation for better and hassle free identification through Aadhaar.

(2) A Member or a pensioner of the Scheme desirous of continuing the benefit of the said Scheme, who is not yet enrolled for Aadhaar shall be required to make an application for Aadhaar enrolment, in case he is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of section 3 of the said Act and such

members and pensioners may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Ministry through its Implementing Agency, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the residents who arenot yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolmentcentre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Ministry through its Implementing Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming a UIDAI Registrar themselves:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the said member, the Central Government's contribution under the aforesaid Coal Mines Pension scheme shall be given based on the alternate and viable means of identification as notified by the Coal Mines Provident Fund Organisation subject to the production of the following documents, namely:-

(a)(i) Identity Certificate issued by the employer or field office of the Coal mines Provident Fund Organisation (the template as specified by the Ministry of Coal) with the Unique Account Number (UAN) issued by the said Organisation;

(ii) if the member or pensioner has enrolled, his Aadhaar Enrolment Identification slip; and

(b) any one of the following documents, namely:-

(i) voter identity card issued by the Election Commission of India; or

(ii) permanent Account Number (PAN) Card issued by the Income- tax Department; or

(iii) Passport; or

(iv) driving licence issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or

(v) certificate of identity having photo of such member issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head; or

(vi) any other document specified by the Coal Mines Provident Fund Organisation:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Coal Mines Provident Fund Organisation through its field offices and their networks.

2. In order to provide convenient and hassle free Central Government's contribution under the Scheme for the benefit of the members, the Coal Mines Provident Fund Organisation through its field offices and their networks shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through media and individual notices through the concerned establishments shall be given to the member applicants to make them aware of the requirement of Aadhaar for the purpose of availing the Central Government's contribution under the Scheme.

3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the members or pensioners or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:-

(a) in case of poor fingerprint quality, iris scan or face authentication facility shall be adopted for authentication, thereby the Ministry through its Implementing Agency shall make provisions for iris scanners or face authentication along with finger-print authentication for delivery of benefits in seamless manner;

(b) in case the biometric authentication through fingerprints or iris scan or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible authentication by Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered;

(c) in all other cases where biometric or Aadhaar One Time Password or Time- based One-Time Password authentication is not possible, pension under the Scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of Quick Response code reader shall be provided at the convenient locations by the Ministry through its Implementing Agency.

4. This notification shall come into effect in all the States and Union territories from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 20090/24/2016-PRIW3]

SANTOSH, DDG (Coal)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2023.04.13 22:39:42 +05'30'